

**कार्यालय****राष्ट्रीय पारिषद शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश सरकार।****संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537****संख्या: दिनांक: 09/08/2021****:कार्यालय आप-:**

अधिस भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परमेशी कउडरिस्तर ओक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त पारिषद शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08.08.2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार। पाठ्यक्रम: प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे गये निर्णय के अनुक्रम में विद्यमान संस्था को पारिषद शिक्षा परिषद, 30 प्र लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1509-MORADABAD POLYTECHNIC, SAMBHAL ROAD, MORADABAD**

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	120	120
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
5	INDUSTRIAL SAFETY	60	60
6	P G DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पारिषद शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा पारिषद शिक्षा परिषद विनियमनवली 1992, सेमेस्टर विनियमनवली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा



ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MORADABAD POLYTECHNIC, SAMBHAL ROAD, MORADABAD



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

## कार्यालय

### उत्तर प्राविधिक शिक्षा परिषद

#### उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राशिय/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

#### कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली चारों ओर अंगूठित और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु द्वितीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 28/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संपन्नित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम: प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता: सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

#### संस्था का कोड एवं नाम : 1509-MORADABAD POLYTECHNIC

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	INDUSTRIAL SAFETY	60	60
2	P-G DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60
3	CIVIL ENGINEERING	120	120
4	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
6	MECHANICAL ENGINEERING	120	120

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेंटर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय चारों ओर पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय चारों ओर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा; उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साक्षात् द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पढाई होंगे, और तदुसार कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा; प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनताम देरी लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विधिविषयों-अतिरिक्त/सासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बतये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये साध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का एन-आईसीटी/ई-सीसीआई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया गया है तो संस्था स्वयं कदम चलेगा।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु अधिसूचित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व एन-आईसीटी/ई-सीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग) के समय से प्रवेश परीक्षा के अक्षर पर/वीथी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशन विधियों का अनुपालन करना साध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सहायक, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, छात्रसंख्या सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त साठवण उपलब्ध करने के साथ रेगुलर टोकने के समय में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराये गये अधिसूचना, भूमि, भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थान संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अधिकारों/निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सहायक एन-आईसीटी/ई-सीसीआई/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(एफ0आर0 सचिव)

सचिव

पु0सं0- प्राथमिकपरिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक/निदेशक/MORADABAD POLYTECHNIC



(एफ0आर0 सचिव)

सचिव

**कार्यालय****राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद****उत्तर प्रदेश संघनाटक**

संख्या- प्राविप/परिषद् संघनाटक/2023/12090001

संघनाटक दिनांक: 12-09-2023

**कार्यालय द्वारा:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्यालयी कर्तव्यनित और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघर्षित डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुपदेय विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20+ प्रो संघनाटक से संबद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में संबद्धता समिति की बैठक संघत हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यालयी कर्तव्यनित और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संघनाटो को प्रदत्त अनुपदेय विस्तार एवं संबद्धता समिति द्वारा लिपि एवं निर्णय के अनुक्रम में संघनाटो को संबद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

संबद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विश्व संघनाटो को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20+ प्रो संघनाटक द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित पदों के अर्पण परावृत्तक एवं उसमें अखिल प्रदेश अंशता हेतु संबद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संघनाटो का कोड एवं नाम : 1585-MORADABAD POLYTECHNIC**

क्र.सं.	संघनाटक का नाम	एच-आर्जीसीटीआई/एच-एचसीआई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुपदेय प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुपदेय प्रवेश क्षमता
1	INDUSTRIAL SAFETY	60	60
2	F O G DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60
3	CIVIL ENGINEERING	120	120
4	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
6	MECHANICAL ENGINEERING	120	120

**संबद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुपदेय उत्तर प्रदेश संघनाटो के पर संख्या 311/19-30999/2022 टीसीओ-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघर्षित संघनाटो को संघनाटो के विरुद्ध संघनाटो में प्रवेश लिपि प्राविधिक शिक्षा संघनाटो 0027/2023 में संघनाटो में संघनाटो के अर्पण निर्णय के अर्पण संघनाटो निर्णय की जाती है।
- ✓ संघनाटो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यालयी कर्तव्यनित और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यालयी कर्तव्यनित और इंडिया, नई दिल्ली के संघनाटो के अनुक्रम संघनाटो में संघनाटो संघनाटो (सुवि. भवन, लेख उपकरण) अर्पण उपकरण है।
- ✓ संघनाटो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एचए 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद दिनांक/संख्या 1982, दिनांक/संख्या 2000, संघनाटो दिनांक/संख्या 2016 तथा संघनाटो पर निर्णय संघनाटो को अनुपदेय करेगी तथा संघनाटो निर्णय समिति द्वारा निर्धारित संघनाटो ही प्रवेश परावृत्तक से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संघनाटो को संघनाटो के सम्बन्ध में संघनाटो पर पालन द्वारा निर्णय किये जाने वाले संघनाटो परावृत्तक प्रभावी होने, और संघनाटो को संघनाटो किंच जगम अभिलेख होगा। प्राविधिक शिक्षा संघनाटो द्वारा सत्र 2023-24 हेतु शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाता है, जो शर्तों की संघनाटो पर लेखु होगी।
- ✓ संघनाटो में संघनाटो प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आवेदन करने को ही प्रवेश दिया जाएगा।

